प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 03.06.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना नजीबाबाद पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा धारा 8 पॉक्सो एक्ट व धारा 452/504/506 भादवि के आरोपी को 03 वर्ष के कठोर कारावास व 17,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 14.10.2022 को वादिया ने थाना नजीबाबाद पर तहरीर दी कि अभियुक्त सलमान पुत्र जहीर निवासी जसवन्तपुर लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर द्वारा जबरदस्ती घर मे घुसकर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ गलत कार्य किया तथा इस संबंध किसी को बताने पर वादिया व उसकी पुत्री को जान से मारने की धमकी दी गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नजीबाबाद पर मु0अ0सं0 518/22 धारा 452/376/511/504/506 भादवि व धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया। उपरोक्त अभियोग मे विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 03.06.2025 को मा0 न्यायालय स्पेशल पॉक्सो एक्ट जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 518/22 धारा 8 पॉक्सो एक्ट व धारा 354/452/504/506 भादवि के आरोपी अभियुक्त सलमान पुत्र जहीर निवासी जसवन्तपुर लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर उपरोक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 17,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

उक्त अभियोग श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन कन्विक्शन"** के अन्तर्गत मा0 न्यायालय में सशक्त एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को अधिकाधिक सजा दिलाये जाने हेतु चिन्हित अभियोगों में सम्मिलित था।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- सलमान पुत्र जहीर निवासी जसवन्तपुर उर्फ लुकादडी थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर।

प्रेस नोट – जनपद बिजनौर **दिनांक – 03.06.2025**

वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए गए अभियान में जनपदीय पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 03.06.2025 को जनपदीय पुलिस द्वारा 03 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जिनका विवरण निम्नवत हैः-

क्र0 सं0	नाम थाना	गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तगण का नाम व पता
1	कोतवाली शहर	कृष्णा कुमार पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम रोशनपुर थाना को0देहात बिजनौर।
2	कोतवाली शहर	राजेन्द्र कुमार पुत्र मंगू लाल निवासी ग्राम बरुकी थाना को0देहात बिजनौर।
3	धामपुर	आसिफ पुत्र समीर खां निवासी ग्राम किरारखेडी थाना धामपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना नूरपुर **दिनांक 03-06-2025**

थाना नूरपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 190/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/351(3)/61(2)/109/118(1) बीएनएस मे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.06.2025 को वादी ने थाना नूरपुर पर तहरीर दी कि अभियुक्त शरीफ पुत्र सफीक निवासी मोहल्ला गांधीनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर सहित 08 अभियुक्त द्वारा लात-घूसो से मारपीट करते हुए तमंचे की बट से वादी के सिर पर वार किया तथा मौके पर आमजन द्वारा बीच-बचाव करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 190/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/351(3)/110/61(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। अभियोग मे विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान धारा 110 बीएनएस का लोप कर धारा 109/118(1) बीएनएस की वृद्धि की गई।

कार्यवाही :-

थाना नूरपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग मे वांछित अभियुक्त शरीफ पुत्र सफीक निवासी मोहल्ला गांधीनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

शरीफ पुत्र सफीक निवासी मोहल्ला गांधीनगर कस्बा व थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास -

1- मु0अ0सं0 190/25 धारा 191(2)/191(3)/115(2)/351(3)/61(2)/109/118(1) बीएनएस थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 राजेन्द्र कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
2. मुख्य आरक्षी सतीश कुमार थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी अमित भाटी थाना नूरपुर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट–थाना हल्दौर   दिनांक- 03.06.2025

थाना हल्दौर पुलिस ने मु0अ0सं0 144/2025 धारा 109(1)/115(2)/352/118(2)/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.06.2025 को वादी श्री शुभम कुमार पुत्र वीरभान सिंह निवासी ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अभियुक्त रावेन्द्र उर्फ काले पुत्र हरिसिंह निवासी ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर सहित 04 नामित अभियुक्तो द्वारा वादी के पिता वीरभान व चाचा संजीव कुमार के साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की नियत से धारदार हथियार से मारपीट कर गंभीर चोट पहुचाई गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 144/2025 धारा 109(1)/115(2)/352/118(2)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण

आज दिनांक 03.06.2025 को थाना हल्दौर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त रावेन्द्र उर्फ काले पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया, जिसकी निशांदेही पर घटना मे प्रयुक्त एक दरांती बरामद की गई। अग्रिम कार्यवाही प्रचलित है। अभियोग मे नामित अन्य 03 अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता -

रावेन्द्र उर्फ काले पुत्र हरि सिंह निवासी ग्राम खासपुरा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर उम्र करीब 45 वर्ष।

बरामदगी का विवरण -

घटना में प्रयुक्त एक दरांती

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सोहनलाल शर्मा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
2. का0 1776 प्रवीण शर्मा थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना चांदपुर **दिनांक 03-06-2025**

थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त को एक अवैध चाकू सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही :-

जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अवैध शस्त्रों के निर्माण/बिक्री/परिवहन करने वाले अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना चांदपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त मोहित कुमार पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर को 01 अवैध चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 315/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया । विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

मोहित कुमार पुत्र सुखवीर सिंह निवासी ग्राम कमालपुर थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

बरामदगी का विवरणः-

1- 01 अवैध चाकू।

आपराधिक इतिहास शाहरुख उपरोक्तः-

1- मु0अ0सं0 315/25 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1. उ0नि0 प्रशांत कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
2. आरक्षी विजय कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।
3. आरक्षी नितिन थाना चांदपुर जनपद बिजनौर।